<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>09.10.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आँचलिक कार्यालय (गोवा) ने मादक दवाओं के अवैध निर्माण और वितरण में कथित रूप से शामिल विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 11 अचल संपत्तियों और 04 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत 3.77 करोड़ रुपये है।

ईडी ने राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), मुंबई आंचलिक इकाई द्वारा एनडीपीएस मामलों के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, सत्र न्यायालय, ग्रेटर मुंबई की अदालत के समक्ष राहुल बालकृष्ण शेडगे और 11 अन्य के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के विभिन्न अपराधों के लिए दायर की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि राहुल बालकृष्ण शेडगे और एंथनी कराकुट्टी पॉल को रासायनिक क्षेत्र में विशेषज्ञता है और वे पिछले कई वर्षों से मादक दवाओं के अवैध निर्माण और वितरण में सक्रिय रूप से शामिल थे। इशरतखान परमार का भी आपराधिक इतिहास रहा है और उन्होंने ड्रग्स के वितरण में सक्रिय रूप से भाग लिया। जांच के दौरान, उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित अपराध की आय को “असंबंधित पक्षों, रिश्तेदारों और अज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन” के रूप में प्रच्छन्न (डिसगाइस) किया गया और अचल संपत्तियों में

निवेश किया गया, जिन्हें पीएमएलए के तहत अनंतिम रूप से पहचाना और जब्त किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।